# न्यायालय– सिविल न्यायाधीश (वरीय प्रभाग), षष्ठम्, पटना सिटी

## स्वत्व वाद सं0–58 / 2023

## आदेश

22/03/2024 वादी तथा प्रतिवादी सं0–1 से 4 की ओर से हाजिरी दी गई। प्रस्तुत अभिलेख प्रतिवादी सं0–1 से 4 के आवेदन दि0–09.02.2024 एवं वादी के प्रत्युत्तर दि0–28.02.2024 पर विगत तिथि को सुनवाई के पश्चात् अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादी सं0–1 से 4 के द्वारा आवेदन दिनांक–09.02.2024 के माध्यम से आदेश दिनांक–28.11.2023 एवं 05.01.2024 को रिकॉल करने हेतु अभिकथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद की जानकारी होने के पश्चात् प्रतिवादी सं0–1 से 4 दिनांक–10.08.2023 को उपस्थित हुए, परंतु इन्होंने इस अवधि में अपना कोई लिखित कथन दाखिल नहीं किया तथा उपस्थिति की तिथि से 90 दिनों की अवधि बीत जाने की वजह से न्यायालय ने इन्हें दिनांक–28.11.2023 को लिखित कथन देने से वर्जित कर दिया। ऐसा नहीं है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण ने अपने लिखित को दाखिल करने में जानबूझकर विलम्ब किया है, वरन् अपरिहार्य कारणों की वजह से इसमें देरी हुई है। किसी भी पक्षकार को न्यायिक प्रक्रिया में सम्मिलित होने के अवसर से रोका नहीं जा सकता है। यदि लिखित कथन को स्वीकृत नहीं किया जाता है तो, प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रतिवादी सं0–1 से 4 के लिखित कथन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

वादी ने अपने प्रत्युत्तर के माध्यम से अभिकथन किया है कि प्रतिवादी सं0–1 से 4 के द्वारा लिखित कथन स्वीकृत करने हेतु दिया गया आवेदन न तो विधिक रूप से और न ही तथ्यों एवं परिस्थितियों के तहत ही पोषणीय है। प्रतिवादी सं0–1 से 4 इस वाद में दिनांक–10.08.2023 को सर्वप्रथम उपस्थित हुए, आदेश 8 नियम 1 सि.पी.सी. के अनुसार उन्हें अपना लिखित कथन दिनांक–09.09.2023 तक दाखिल करना था, परंतु वे लापरवाही बरतते हुए ऐसा करने में असफल रहे और इसलिए उन्हें लिखित कथन दाखिल करने से वंचित कर दिया गया। दूसरी बार दिनांक–09.02.2024 को वे अपने लिखित कथन तथा प्रत्युत्तर से संबंधित आवेदन के साथ उपस्थित हुए। उल्लेखित है कि प्रतिवादीगण को सम्मन भेजे जाने के बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए, फलस्वरूप न्यायालय द्वारा वादी को स्थानीय समाचार पत्र में सम्मन प्रकाशन हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालनार्थ वादी ने रुपये 14,000 / – वहन कर स्थानीय समाचार पत्रों में सम्मन प्रकाशन कराया, तत्पश्चात मात्र प्रतिवादी सं0–1, 2 एवं 4 ही दिनांक–10.08.23 को उपस्थित हुए, अन्य तीन प्रतिवादीगण, अर्थात् प्रतिवादी सं0–3, 5 एवं 7 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हेतु वाद

दिनांक–28.11.2023 को निर्धारित किया गया। चूंकि प्रतिवादी सं0–1, 2 एवं 4 दि0–10.08.2023 को उपस्थित हुए और चूंकि वे अपना लिखित कथन दाखिल करने में असफल रहे, इसलिए उनके विरुद्ध आदेश 8 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत वाद का संचालन हुआ। प्रत्युत्तर से संबंधित आवेदन का पारा–1, अभिलेख का मामला है, परंतु जहां तक पारा–2 की बात है, तो दिनांक–10.08.2023 को प्रतिवादी सं0–1, 2 एवं 4 उपस्थित हुए, प्रतिवादी सं0–3, 5 एवं 7 अभी तक उपस्थित नहीं हुए और इस प्रकार आदेश दिनांक–18.11.2023 के माध्यम से प्रतिवादी सं0–1, 2 एवं 4 लिखित कथन दाखिल करने से वंचित कर दिए गए। प्रत्युत्तर से संबंधित आवेदन के पारा–3 एवं 4 के संबंध में कहना है कि प्रतिवादीगण के नियत को अभिलेख पर रखे डाक ट्रैक रिपोर्ट से भी समझा जा सकता है, जिसमें यह स्पष्ट है कि सम्मन जिसे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया था, प्रतिवादीगण को प्रस्तुत कराया गया था परंतु वे बदनियती से इस वाद से अलग रहे। प्रकाशन हेतु वादी द्वारा बड़ी रकम व्यय करने के बाद दो स्थानों के समाचार पत्रों में उपस्थिति हेतु सम्मन प्रकाशन के पश्चात् ही प्रतिवादी सं0–1, 2 एवं 4 इस वाद में उपस्थित हुए। माननीय एपेक्स कोर्ट ने कभी भी वाद को प्रतिवादीगण के इच्छा से बेवजह स्थगित नहीं किया है, बल्कि प्रतिवादीगण को वाद में संघर्ष करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है, परंतु ऐसे प्रतिवादीगण जो वाद को संघर्ष करने के बजाय उसे लंबित करने में दिल्चस्पी रखते हैं, उन्हें वाद संघर्ष करने का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता है, और इस प्रकार प्रतिवादीगण के आवेदन के पारा–3 से 6 की बातें गलत एवं आधारहीन हैं। जब तक कि एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को रिकॉल नहीं किया जायेगा, तब तक लिखित कथन नहीं स्वीकृत किया जा सकता है, और इसलिए प्रत्युत्तर से संबंधित आवेदन में मात्र लिखित कथन को स्वीकृत करने का अनुरोध गुण रहित है और खारिज करने योग्य है। अतः प्रतिवादी सं0–1 से 4 का आवेदन समयपूर्व एवं अयोग्य होने के कारण रद्द करने की कृपा की जाय।

उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आदेश दिनांक–28.11.2023 एवं 05.01.2024 को इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं0–1, 2 एवं 4 को उत्तरपत्र दाखिल करने से वंचित किया गया है एवं प्रतिवादी सं0–3 एवं 5 से 7 के विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई हेतु नियत किया गया है, तत्पश्चात् वादी के द्वारा अपने वाद के समर्थन में कुल तीन साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है, तत्पश्चात् अभिलेख बहस हेतु निर्धारित था। उसी दौरान प्रतिवादी सं0–1 से 4 की ओर से उक्त आदेश के वापसी हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। साथ–ही न्यायालय को यह भी ज्ञात होता है कि वादी के द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध नजारत, स्पीड के द्वारा सम्मन तामिल

कराया गया है। तत्पश्चात् प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने के उपरांत वादी के द्वारा दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से भी प्रकाशित कराया गया है, ताकि प्रतिवादीगण को उपस्थित कराया जा सके, फिर भी प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए, जब अभिलेख वादी के गवाही उपरांत बहस हेतु लंबित हुआ तब प्रार्थी के द्वारा यह आवेदन दाखिन किया गया है कि उक्त आदेश दिनांक–28.11.2023 एवं 05.01.2024 को वापस किया जाय। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से ज्ञात होता है कि प्रतिवादीगण जानबूझकर उपेक्षित बरत रहे थे एवं वाद को लंबा खींचना चाह रहे थे। ऐसी परिस्थिति में उक्त आवेदन को न्यायहित में एवं वाद को ससंघर्ष निष्पादित करने के उद्देश्य से प्रार्थी के आवेदन को कुल मो0 4,000/– के खर्च पर स्वीकृत किया जाता है एवं प्रार्थी को ससंघर्ष करने का अवसर प्रदान किया जाता है। वाद वास्ते दिनांक–..... अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु।

लेखापित

सिविल न्यायाधीश (वरीय प्रभाग), षष्ठम्
पटना सिटी